बाल विवाह मुक्त हमारा बिहार

दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा

पुलिस अधिकारी के लिए

बाल विवाह एवं दहेज की रोकथाम पर टूलकिट

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

विषय सूची

सत्र १: दहेज प्रथा रोकना क्यों जरूरी है और इसे कैसे रोका जाये? 3

सत्र २: बाल विवाह क्या है और इसे समझना जरूरी क्यों है? 4

सत्र ३: बाल विवाह पर केस स्टडी (घटना वृतांत) 5

निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए केस स्टडी (घटना वृतांत) 5

सत्र ४: मैं क्या कर सकता/ सकती हूँ 6

बाल विवाह और दहेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं: 6

बाल विवाह को संबोधित करने से सम्बंधित हितधारको के लिए मानक संचालन प्रकिया 7

रोकथाम और पुनर्वास के लिए गतिविधियां 8

किशोरे पुलिस यूनिट की भूमिका 8

सत्र 1: दहेज प्रथा रोकना क्यों जरूरी है और इसे कैसे रोका जाये?

उद्देश्य:

- प्रतिभागी दहेज प्रथा के बारे में जानेंगे
- प्रतिभागी जानेंगे कि दहेज और महिलाओं के प्रति हिंसा में क्या सम्बन्ध है
- प्रतिभागी दहेज पर कानून के बारे में जानेंगे

अवधि: 90 मिनट

सामग्री: व्हाइटबोर्ड और मार्कर्स

प्रक्रिया:

1. प्रतिभागियों से पूछे कि क्या उनके समुदाय में दहेज/ तिलक की प्रथा है, कौन देता है, और कौन लेता है?
2. तिलक में लेन–देन की बात कौन, कब और कैसे किया जाता है?
3. प्रतिभागियों को 3–4 छोटे समूहों में बाँट दें, उन्हें अपने समूह में एक रोल–प्ले तैयार करना है
   - पहला ग्रुप/ समूह तिलक के लेन–देन के बात–चीत को दर्शाएंगे
   - दूसरा ग्रुप तिलक के बात–चीत को कैसे रोक सकते हैं यह दर्शायें
   - तीसरा ग्रुप/ समूह यह दिखाएँ कि शादी के बाद भी दहेज की मांग कैसे जारी रहती है?
   - चौथा ग्रुप यह दर्शाए कि समुदाय के और लोग इस प्रथा को कैसे रोक सकते है?
4. सहजकर्ता नीचे दिए गए तालिका को व्हाइटबोर्ड पर बना लें

प्ले में क्या दर्शाया?	इस में किस तरह के हिंसा को दिखाया गया?	हिंसा कौन कर रहा था?	हिंसा किस के साथ हो रही थी?	इन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ा?	इन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ?	इस को रोकने के लिए किन के साथ काम कर सकतें हैं? किस तरह का काम कर सकतें हैं?

5. हर एक रोल–प्ले के बाद ऊपर दी गयी तालिका को भरें और इस के आधार पर चर्चा करें।
6. सत्र के अंत में तालिका के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए दहेज प्रथा और महिलाओं के प्रति हिंसा के सम्बन्ध को समझाएं।
7. साथ ही यह भी चर्चा करें की इस का लड़कियों और महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

चर्चा के कुछ बिंदु:

- इन सभी स्थितियों में हिंसा किसके साथ हो रहा है?
- हिंसा करने वाले कौन थे? जिस के साथ हिंसा हो रही है क्या यह उनके जान–पहचान के लोगों में से हैं?
- जिनके साथ हिंसा हो रही है उन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ सकता है?
- ऐसी कौन सी बातें हैं तो हर रोल–प्ले में एक जैसी थी?

- इस तालिका से हमें क्या पता चलता है?
- दहेज को रोकने के लिए किसके साथ, और किस तरह का काम कर सकतें हैं?
- हमारा कानून क्या कहता है?

सहजकर्ता के लिए नोट्स:

ज्यादातर हिंसा के घटनाओं में लड़की/ महिलाएं, उनके परिवार के सदस्य या उनके बच्चे प्रभावित होते हैं। लड़की के परिवार के होने के नाते समाज में उनका दर्जा पितासत्ता के वजह से कम माना जाता है। इस के अलावा, अक्सर हिंसा करने वाले महिला या लड़की के परिवार वाले, रिश्तेदार या जान–पहचान के होते हैं। इस कारणवश उसके खुद का घर उसके लिया असुरक्षित बन जाता है। इसलिए, वह और कमजोर पड़ जाती है। वह अपने सुरक्षा के जानकारी, संसाधन इत्यादि तक पहुँच नहीं पाती है जो कि हिंसा मुक्त जीवन जीने का आधार हैं।

नीचे दी गयी तालिका रोल-प्ले और चर्चा से निकली हुई बातों का उदाहरण हैं:

प्ले में क्या दर्शाया?	**इस में किस तरह के हिंसा को दिखाया गया?**	**हिंसा कौन कर रहा था?**	**हिंसा किस के साथ हो रही थी?**	**इन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ा?**	**इन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ?**	**इस को रोकने के लिए किन के साथ काम कर सकतें हैं? किस तरह का काम कर सकतें हैं?**
यहाँ पर रोल–प्ले में दर्शायी गयी घटना को लिखें जैसे कि दहेज के लेन–देन की बात कौन और किसके साथ कर रहें हैं इत्यादि	मौखिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक हिंसा इत्यादि	पिता, भाई, चाचा, दादा, दादी, बहन, मां, ससुर, सास, देवर इत्यादि	बेटी, बहन, दीदी इत्यादि	शादी नहीं हुई, पढ़ाई रोक दी गयी, शादी के बाद भी हिंसा सहना पड़ा, लड़की का आत्मा–विश्वास कम होना, इत्यादि	यहाँ जिन अधिकारों का हनन हुआ है, उनके नाम लिखें	

सत्र २: बाल विवाह क्या है और इसे समझना जरूरी क्यों है?

इस चर्चा के अंत में प्रतिभागी अपने समुदाय में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति की पहचान करने और उसको रोकने की प्रासंगिकता और जरूरत की पहचान करने में सक्षम हो जायेंगे।

समय: 60 मिनट

बाल विवाह की परिस्थिति और उसके वर्तमान प्रसार के बारे में प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें। उनके गांव में इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में उनसे प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करें। बाल विवाह पर कानून और उस संबंध में कार्यवाही कर सकने वाले अधिकारियों के बारे में चर्चा करें। उन लोगों के साथ कानून के अनुसार की जा सकने वाले कार्यवाही के बारे में चर्चा करें और साथ ही यह भी कि अधिकारियों को कौन रिपोर्ट कर सकता है।

विचार करें:

- क्या कारण हैं कि माता–पिता अपने बच्चों की, खासकर लड़कियों की कम उम्र में शादी करवा देते हैं?
- बाल विवाह को कम करना या रोकना क्यों महत्वपूर्ण है?

- बाल विवाह बच्चों को, खासकर लड़कियों को किस प्रकार से प्रभावित करती है?
- आपके समुदाय में बाल विवाह को निषेध करने या रोकने के लिए अब तक क्या किया गया है?

सत्र ३: बाल विवाह पर केस स्टडी (घटना वृतांत)

इस चर्चा के अंत में प्रतिभागी कानून की मुख्य विशेषताओं, अधिकारियों की पहचान करने और बाल विवाह को रोकने के लिए प्रावधानों को सूचीबद्ध करने में सक्षम हो जाएँगे।

समय: 60 मिनट

इसका प्रयोग करें : रानी केस स्टडी (घटना वृतांत)।

नीचे दी गयी केस स्टडी (घटना वृतांत) को पढ़ें। प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि रानी की मदद करने के लिए वे क्या कर सकते हैं और उन्हें किस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहिए। रानी के मामले में उनकी भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा, उन लोगों के साथ चर्चा करें कि रानी की बाल विवाह हो जाने पर किन मौजूदा कानूनों का उल्लंघन हुआ और इस भाादी का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

विचार करें:

- यदि रानी की बाल विवाह हो जाती है तो उसके जीवन पर क्या असर होगा?
- उसकी शादी को कैसे टाला जा सकती है?
- इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
- उसकी शादी को रोकने या उसको टालने के लिए उसके माता–पिता को कैसे समझा सकते हैं?

फैसिलिटेटर (सहजीकर्ता) के लिए नोट: इस बैठक का आयोजन करने से पहले चर्चा के दौरान संदर्भ के लिए नीचे दी गयी केस स्टडी (घटना वृतांत) की पर्याप्त प्रतियाँ बना लें।

निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए केस स्टडी (घटना वृतांत)

निम्नलिखित केस स्टडी (घटना वृतांत) का इस्तेमाल यह पूछने के लिए किया जा सकता है कि परिणाम को बदलने में वह किस प्रकार मदद कर सकते है। नीचे दिए गए प्रश्न, उत्पन्न हो रही बाधाओं से निपटने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए सुझाव के रूप में दिए गए हैं।

रानी हेसापिडी गांव के निवासी बुद्ध महतो और जवा देवी की 12 साल की बेटी है। रानी अनपढ़ है और कभी भी स्कूल नहीं गयी है।

दहेज के डर से, यौवन की शुरुआत में ही युवा बेटियों की शादी कर देना हेसापिडी गांव में एक आम बात है। गांव वालो को लगता है की जल्दी शादी कर देने से कम दहेज देना पड़ेगा। और चूंकि इसका विरोध करने के लिए कोई आवाज नहीं उठती है, इसलिए यह अभ्यास काफी बड़े पैमाने पर होता है।

इस तरह के एक अंधकारमय परिदृश्य में, 12 वर्षीय रानी की शादी 20,000 रुपये की दहेज राशि के बदले में नवंबर 2013 में गया के एक 28 वर्षीय व्यक्ति के साथ आयोजित कर दी जाती है। अनपढ़ और बाल्यावस्था में होने के नाते, रानी पूर्ण रूप से यह समझने में असमर्थ थी कि प्रस्तावित विवाह का असर उसकी जिन्दगी में क्या प्रभाव लायेगा।

गांव में रानी के आसन्न शादी की घोषणा की जाती है, जिसे सरपंच और बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाले एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ प्रशिक्षित महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा भी सुना जाता है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्यवाई करने और रानी की शादी को रोकने का फैसला करते हैं। वह पंचायत मुखिया, श्री रमेश सिंह, के सहयोग से पुलिस और स्थानीय मीडिया को घटना की सूचना देते हैं। जल्द ही, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों पर बढ़ी हुई जागरूकता और ज्ञान ग्रामीणों (मुखिया, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पुलिस, आदि) की धारणा को बदलने में मददगार रहे। उस गांव में बाल विवाह को रोकने के लिए पहली बार कार्यवाई की गयी थी। इसने गांव और आसपास के इलाकों में इस तरह की घटनाओं का सामना होने पर कार्यवाई करने के लिए अन्य समुदाय के सदस्यों के लिए एक मिसाल कायम की है।

चर्चागत प्रश्न:

एक पुलिस कर्मी के रूप में, आप रानी के पिता से क्या कहते?

क्या आपको लगता है कि पुलिस के लिए अपने गांव के लोगों के खिलाफ कार्यवाई करना आसान था?

रानी के बाल विवाह करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को पूरा करने के लिए किस प्रकार अतिरिक्त समर्थन प्राप्त किया था?

सत्र ४: मैं क्या कर सकता/ सकती हूँ

इस सत्र के अंत में सभी प्रतिभागी बाल विवाह पर और उससे संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए वे क्या कर सकते हैं, इसकी सूची बनाने में सक्षम हो जाएँगे।

समय: 60 मिनट

इसका प्रयोग करें: लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एक्सटेंशन कार्ड, स्पीकर (अनिवार्य नहीं), मानक संचालन प्रक्रिया पर प्रेजेंटेशन/चार्ट पेपर में लिखित मानक संचालन प्रक्रिया

विचार करें:

प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि वे पुलिस अधिकार के तौर पर क्या कर सकते है। चर्चा के पश्चात मानक संचालन प्रक्रिया प्रेजेंटेशन करें या फिर चार्ट पेपर में लिखित मानक संचालन प्रक्रिया के द्वारा फिर प्रतिभागियों से चर्चा करें।

फैसिलिटेटर (सहजीकर्ता) के लिए नोट:

गृह विभाग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

बाल विवाह और दहेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं:

- पुलिस के रूप में आपके पास गिरफ्तारी करने और बाल विवाह तथा दहेज रोकने का अधिकार और शक्ति है। अनुभव बताते हैं कि अधिकारियों द्वारा की गई मजबूत और मुखर कार्यवाही लोगों पर लम्बे समय के लिए असर छोड़ती हैं और बाल विवाह तथा दहेज की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में सफल होती है।
- आप व्यक्तिगत कार्रवाई से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं–
  - अपने परिवार में सुनिश्चित करें कि कोई भी विवाह कानूनी उम्र पूरी होने से पहले न हो
  - गांव में किसी भी बाल विवाह के आयोजन में शामिल नहीं हो

- कानून पर समुदाय को शिक्षित करने के लिए समुदाय में जागरूकता सत्रों को आयोजित करें और उसमे बाल विवाह तथा दहेज के लेन–देन के कानूनी पहलुओं और परिणामों के बारे में बताएं।
- समुदाय को सूचित करें कि बाल विवाह निषेध कानून, 2006 और दहेज निषेध कानून, 1961 के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आप कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

बाल विवाह को संबोधित करने से सम्बंधित हितधारको के लिए मानक संचालन प्रकिया

तत्कालिक कार्यवाही

1. थाना प्रभारी मौखिक या लिखित रूप में की गई शिकायत को स्वीकार करें तथा प्राथमिकी दर्ज कर जांच करें। सभी शिकायतों को बिना किसी देरी के प्राथमिकी में बदला जाना चाहिए।
2. बाल विवाह के मामले में बाल विवाह के शिकार बच्चों के घर का पता, उनके उम्र के बारे में जानकारी व अन्य सम्बंधित सूचनाएँ इकट्ठा कर बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) को भेजें। दहेज के मामले दहेज का लेनदेन करने वाले घरों का पता व अन्य सूचनाओं को जिला कल्याण अधिकारी को भेजें।
3. शिकायत प्राप्त करने पर पुलिस को भारतीय दंड संहिता, 1973 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
4. बाल विवाह व दहेज के मामलों की सुनवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निवेदन करें।
5. जांच के लिए CPMO अथवा किसी अन्य नियुक्त अधिकारी के समक्ष अभियुक्त को पेश करने के लिए उसे संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध की धाराओं के तहत गिरफ्तार करें।
6. बच्चे को गिरफ्तार करते समय उसे हथकड़ी न पहनाएं।
7. CPMO अथवा किसी अन्य नियुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में बाल विवाह के आयोजन स्थल पर जाएँ और नाबालिगों को बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
8. कार्यवाही के दौरान वर्दी में रहने से बचें और बच्चों से बातचीत के लिए उन्हें अधिक आरामदायक जगह में रखें।
9. बच्चे के साथ पुलिस को बातचीत करते समय महिला सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षक/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम/बच्चे के नजदीकी मित्र (जिस पर बच्चा भरोसा रखता हो) को भी साथ रहना चाहिए। यदि मामला किसी लड़की के बाल विवाह का है तब उससे बातचीत करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी उस समय उपलब्ध नहीं है तो केवल तभी एक पुरुष पुलिस को लड़की के साथ बातचीत करना चाहिए, परन्तु साथ में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम/किशोरी का भरोसेमंद मित्र को साथ में जरूर रहना चाहिए।
10. बच्चे को बचाने के 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम बाल कल्याण समिति और जहाँ ऐसी समिति नही है वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए। बाल विवाह के शिकार बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम और उनके कार्यान्वयन के लिए बनाए गए नियमों के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।
11. माता–पिता/कानूनी अभिभावकों के पास से बच्चे को हटाने का निर्णय अंतिम उपाय के बतौर केवल बच्चे के सर्वोत्तम हित में लिया जाना चाहिए। बच्चे को कभी भी पुलिस लॉक–अप या पुलिस हिरासत में नही रखना चाहिए। इस तरह के बच्चे को केवल 2006 में संशोधित बाल मानवाधिकार (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत संस्थान में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलने के अलावा यदि बच्चे के साथ कोई अन्य अपराध हुआ है तो आप उन अपराधों से सम्बंधित अन्य धाराओं के तहत अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं।
12. शिकायत प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत मामला दर्ज करते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करना। आवश्यकतानुसार भा0द0वि0 की धाराओं का भी समायोजन किया जाय।

उदाहरणस्वरूप यदि कोई 18 साल से कम आयु का बच्चा किसी बच्ची का अपहरण विवाह हेतु करता है तो भा0द0वि0 की धारा लगाना उचित होगा। दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या में भा0द0वि0 की धारा का समावेश करना।

13. पुलिस कर्मी बच्चों से बातचीत करते समय कभी भी वर्दी में न रहें।
14. बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा (10–11) के अनुसार मामला दर्ज करना।
15. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा {8 (क)} के अनुसार Burden of proof अभियुक्तों पर डाला गया है। इसकी जागरूकता पैदा करना।
16. दहेज प्रतिषेध अधिनियम–1961 की धारा {4(क)} के अनुसार विज्ञापन पर पाबंदी के उल्लंघन पर कार्रवाई करना। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की घारा–74 के अनुसार बालकों की पहचान प्रकट करने पर आवश्यक कार्रवाई करना।
17. आसूचना संकलन हेतु एवं जागरूकता फेलाने हेतु थाना के पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों, चौकिदारों, आँगनबाड़ी, सेविकाओं, आशा दीदीयों को शामिल कर अभियान चलाया जाय। थाना पर चौकीदारों, आँगनवाड़ी सेविकाओं तथा आशा दीदियों के साथ प्रति सप्ताह विचार मंथन करना।
18. बाल विवाह में आरोपित बच्चों को किशोर न्यायालय में भेजा जाना।
19. महिला थानाध्यक्ष को स्कूलों, कॉलेजों में दोनों मुद्दों पर प्रशिक्षण देने हेतु जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करना।

रोकथाम और पुनर्वास के लिए गतिविधियां

1. जहाँ बाल विवाह तय हो रहा है पुलिस को उस मामले को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करना चाहिए। पुलिस को मजिस्ट्रेट के जरिये यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की जांच की जाए और बाल विवाह निषेध अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

किशोरे पुलिस यूनिट की भूमिका

2. किशोर पुलिस यूनिट का गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत अनिवार्य देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है।
3. बाल विवाह को रोकने में किशोर पुलिस यूनिट का कार्य भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
4. इस यूनिट को बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।
5. किशोर पुलिस यूनिट को नागरिक पुलिस के साथ नियमित रूप से तालमेल में रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल विवाह से बचाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति/फस्ट क्लास के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
6. किशोर पुलिस यूनिट को स्कूल, स्वास्थ्य एजेंसियों और पंचायत के सहयोग से बच्चों के लिए बनाए गए बाल विवाह अधिनियम, 2006 के बारे में जागरुकता पैदा करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ताकि लोगों में बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे जागरूकता फैलाई जा सके।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग